सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत आवेदन-

सेवा में,

श्रीमान जन सूचना अधिकारी
उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0 उपकेन्द्र
टयोढी जिला बागपत ।

विषय:- सूचना अधिकार अधिनियम -2005 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन

महोदय,

प्रार्थी को सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत नीचे मे लिखी सूचनाओ का लिखित स्पष्ट उत्तर दिया जाना आवश्यक है -

प्र॰1- आपके विद्युत केन्द्र पर जो विद्युत लाईन आ रही है उनके लिये जो खम्बे (पोल) किसानो के खेतो में लगाये गये है क्या किसानो से आपने वह जमीन खरीदी है यदि किसानो से यदि उक्त जमीन खरीदी गयी है तो कितना मुआवजा दिया गया है।

प्रश्न 2- आपके विद्युत लाईन के लिये खम्बो के लिये अगर जमीन नही खरीदी तो किस नियम के तहत वह खम्भे किसानो की जमीन में लगाये है और कितने समय के लिये लगाये है और कितना मुआवजा किसानो को दिया गया है ?

प्र॰3- आपके विद्युत लाईन के लिये जो खम्भे लगाये गये है उनका मुआवजा प्रत्येक खम्भे के लिये कितना दिया है ?

प्र॰4- आपने विद्युत लाईन के लिये जिन किसानो के खेतो के उपर से लाईन गुजारी गयी है क्या उसका मुआवजा प्रदान किया गया है ?

यदि प्रार्थी द्वारा मांगी गयी सूचना आपके विभाग से सम्बधित नही है तो सम्बधित विभाग को प्रेषित की जावे ।

प्रार्थी द्वारा मांगी गयी जानकारी के लिये शुल्क के रूप में पोस्टल आर्डर नं0- अंकन-10 रूपये का -026807567 का साथ सलग्न किया जा रहा है ।

अत: प्रार्थी को उपरोक्त सूचना तुरन्त प्रदान कराने की कृपा करे ।

दिनाक- 16/09/22

प्रार्थी
देशपाल सिंह पुत्र श्रीचंद
नि०- गाँव अंगदपुर जिला बागपत

Power Grid Baghpat
Received....105............
Dated.20-09-2022

10
भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
02G 807567
केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रत्याभूत
GUARANTEED BY THE CENTRAL GOVERNMENT
10
10
दस रुपये
मैं धारक को दस रुपये अदा करने का वचन देता हूं।
I PROMISE TO PAY THE BEARER THE SUM OF TEN RUPEES
गवर्नर
GOVERNOR
02G 807567